रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 812] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2006/श्रावण 5, 1928
No. 812] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2006/SRAVANA 5, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2006

का.आ. 1207(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 29 जनवरी, 1998 के आदेश संख्या का.आ. 93(अ), में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामशः :—

उक्त आदेश के पैराग्राफ 1 में "आठ वर्ष और छः माह की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "नौ वर्ष की अवधि के लिए" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. क्यू-18011/13/2000-सीपीए (वॉल्यूम-III)]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश को भारत के राजपत्र में 29 जनवरी, 1998 के सं. का.आ. 93(अ), के तहत प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 25 जनवरी, 2000 के सं. का.आ. 68(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2002 के सं. का.आ. 108(अ), 28 जनवरी, 2003 के सं. का.आ. 99(अ), दिनांक 3 अप्रैल, 2003 के सं. का.आ. 396(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2006 के सं. का.आ. 94(अ), द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2006

S.O. 1207(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 93(E), dated the 29th January, 1998, namely :—

In the said order, in paragraph 1, for the words "for a period of eight year and six months", the words "for a period of nine years" shall be substituted.

[F. No. Q.-18011/13/2000-CPA (Vol. III)]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India *vide* number No. S.O. 93(E), dated the 29th January, 1998 and subsequently amended *vide* No. S.O. 68(E), dated the 25th January, 2000, No. S.O. 108(E), dated the 25th January, 2002, No. S.O. 99(E), dated the 28th January, 2003, No. S.O. 396(E), dated the 3rd April, 2003 and No. S.O. 94(E), dated the 25th January, 2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.